न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत (आर0 ए0 एस0)

प्रा0पत्र संख्या :– 17/2015 (बाजदायरी)
आरसीएमएस संख्या :– 2015/00075

उनवान

1. नैमीचन्द पुत्र हरीचन्द जाति जाटव निवासी कस्बा उच्चैन तहसील रूपवास भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. भोजराज पुत्र पदमी
2. मौहर सिंह पुत्र सूरसरिया
3. भवूतीराम पुत्र नत्थी
4. जसवन्त सिंह पुत्र नत्थी
5. सुन्दरलाल पुत्र गंगाधर
6. बनय सिंह पुत्र हरेती
7. किशन सिंह पुत्र हरेती
8. तेज सिंह पुत्र हरेती(मृतक)
   - 8/1. केशन्ती वेवा तेज सिंह
   - 8/2. दिनेश
   - 8/3. गणपत
   - 8/4. संजय

   } पिस0 तेज सिंह

9. करन सिंह
10. बदन सिंह

} पिस0 हरेती

} जातियान जाटव निवासी कस्बा उच्चैन तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास

.....असल अप्रार्थी

12. प्रमोद कुमार पुत्र हरीचरन
13. हरीचरन पुत्र नत्थी

.....तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151जा0दी0, बाबत् पुनः नम्बर पर लेने अपील संख्या 89/2010 उनवानी नैमीचन्द बनाम भोजराज निर्णय दिनांक 22.04.2015।

अभिभाषकगण :–
1. श्री विजय सिंह कुन्तल अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी, उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 08.04.2019

1. यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.04.2015 के विरूद्ध पेश किया गया है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 22.04.2015 को अपील संख्या 89/2010 उनवानी नैमीचन्द बनाम भोजराज, अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 तथा समस्त रैस्पो0 की उपस्थिति में, दोंनों अपीलाण्ट्स द्वारा अपील विड्रो करने का प्रार्थना प्रस्तुत करने एवं अपीलाण्ट संख्या 01 द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशो की पालना नहीं करने व वक्त निर्णय अनुपस्थित रहने के कारण, जरिये विड्रो तथा अदम तकमील में धारा 151 सी.पी.सी. की शक्तियों का प्रयोग करते हुये खारिज की गयी थी। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रार्थी ने यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 26.05.2015 को प्रस्तुत किया गया है।

2. बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा की पत्रावली को शामिल मिसल किया गया एवं अप्रार्थी को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना– पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिये कि पेशी दिनांक 22.04.2015 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष दो अपीले भोजराज बनाम मौहर सिंह व नैमीचन्द बनाम भोजराज विचाराधीन थी। न्यायालय श्रीमान् द्वारा भोजराज बनाम मौहर सिंह में आगामी पेशी दिनांक 04.06.2015 नियत की जाकर प्रार्थी/अपीलाण्ट को दोनों अपील पत्रावलियों में आगामी पेशी दिनांक 04.06.2015 नियत होना बताया गया। परन्तु प्रार्थी/अपीलाण्ट के पीछे से अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 एवं रैस्पो0 ने अपील पत्रावली संख्या 89/2010 उनवानी नैमीचन्द बनाम भोजराज को जरिये विड्रो एवं अदम तकमील में खारिज करा दिया। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील में कोई विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है; प्रार्थी अपीलाण्ट उक्त अपील को शुद्धभाव से लडना चाहता है। यदि प्रार्थी/अपीलाण्ट की अपील, नम्बर पर नहीं ली गयी तो प्रार्थी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। मियाद के बिन्दु पर वकील प्रार्थी का तर्क है कि उक्त आदेश प्रार्थी/अपीलाण्ट की बैक पर पारित हुआ है अतः उन्हें अपील के खारिज होना का ज्ञान नहीं था। अपील के खारिज होने की सूचना उन्हें रैस्पो0 विभूतीराम से दिनांक 26.05.2015 को प्राप्त हुयी। अतः जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद ग्रहण किया जाकर, अपील को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 22.04.2015 विधि अनुरूप सही है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 मियाद बाहर पेश किया गया है अतः मियाद के बिन्दु पर ही प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। गुणावगुण पर उनका तर्क है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपीलाण्ट को रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन तलवाना एवं रैस्पो0 संख्या 08 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद कोई ध्यान नहीं देने एवं अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 के विड्रो प्रार्थना पत्र पर विधिवत सुनवाई की जाकर पत्रावली जरिये विड्रो एवं अदम तकमील में खारिज की गयी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीले अदम तकमील में खारिज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने के कारण अब इसे वापस नम्बर पर नहीं लिया जा सकता है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील नहीं रिवीजन की जानी चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने के कारण काबिल खारिजी है।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि मूल अपील दिनांक 01.12.2010 को न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर हुई एवं रैस्पो0 की तलवी हेतु दिनांक 26.11.2013 तक लम्बित रही। न्यायालय हाजा ने दिनांक 28.01.2014 को रैस्पो0 की तलवी हेतु पुनः सम्मन तलवाना पेश करने एवं रैस्पो0 संख्या 08 के फौत होने के कारण कायम मुकाम कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये, किन्तु प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 26.11.2013 से दिनांक 02.02.2015 तक, 01 वर्ष 2 माह का समय व्यतित होने के उपरान्त भी रैस्पो0 की तलवी हेतु सम्मन तलवाना एवं रैस्पो0 संख्या 08 के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गयी। पेशी दिनांक 30.03.2015 को अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील विड्रा किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 22.04.2015 को अपीलाण्ट संख्या 02 व 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रा पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली जरिये विड्रा एवं अदम तकमील में खारिज हुई। हस्तगत प्रार्थना पत्र में वकील अपीलाण्ट का कथन रहा है कि अपीलाण्ट/प्रार्थी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र विड्रा प्रस्तुत नहीं किया है केवल अपीलाण्ट संख्या 02 प्रमोद कुमार व अपीलाण्ट संख्या 03 हरीचरन द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र विड्रा पेश किया है। प्रार्थी/अपीलाण्ट शुद्ध भाव से अपील का निस्तारण कराना चाहता है। हमने मनन किया। प्रार्थी/अपीलाण्ट अपनी अपील के संचालन में लापरवाह रहा है, इस तथ्य को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। परन्तु न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तकनीकी आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज करने के बजाय, अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित होगा। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र(बाजवा) स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। मूल अपील संख्या 89/2010(223) पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर वास्ते तलवी तहत पत्रावली दिनांक 02.05.2019 को पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर